न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 27 / 2021

प्रहलाद पुत्र गंगाराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम खटवाड, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0

(अपीलार्थी)

बनाम

1 सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

2. पटवारी, पटवार हल्का खटवाड, तहसील मौजमाबाद ।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आदेश

दिनांक 25.02.2019 नायबतहसीलदार मौजमाबाद

उपस्थित :–

1. श्री रामजीलाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।

2 पैरोकार सरकार ।

निर्णय दिनांक :– 18 / 11 / 2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत हल्का पटवारी खटवाड ने अपीलाण्ट के विरूद्ध सर्वथा झूठी व निराधार रिपोर्ट दिनांक 25.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है कि राजस्व ग्राम खटवाड की सरकारी भूमि किस्म चरागाह आराजी आराजी ख0न0 1516, 1517 रकबा 0.75 हैक्टेयर, 4.65 हैक्टेयर में से 0.30 हैक्टेयर, 0.20 हैक्टेयर भूमि पर गैरसायल (अपीलाण्ट) ने अवैध रूप से चना काश्त कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलाण्ट बाद तामिल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उक्त झूँठी रिपोर्ट का जवाब

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट के पूर्वजों के समय से प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि का काबिज काश्त है। प्रार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 1516, 1517 चरागाह पर चना की काश्त करने की रिपोर्ट झूँठी पेश की गई है। प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 152 के अन्तर्गत दर्ज खसरा नम्बर 164, 165, 166 की भूमि पर काबिज है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के लगवा खसरा नम्बर 1516, 1517 चरागाह स्थित है, जिसका सीमाज्ञान मौके पर किया जावे, यदि चरागाह भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना पाया जावे तो प्रार्थी कब्जा छोड देगा। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाते और विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा साबित पाये जाने पर अपीलाण्ट कब्जा छोडने के लिए तैयार था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सीमाज्ञान नहीं करवाया और केवल मात्र हल्का पटवारी की झूँठी रिपोर्ट व भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र गंगातीकलां की रिपोर्ट एवं हल्का पटवारी के झूँठे बयानों पर विश्वास करके आदेश दिनांक 25.02.2019 पारित कर बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली, सिविल कारावास व जूर्माना की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थी जिसके आधार पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसी कोई फर्द बेदखली रिपोर्ट नहीं थी जिसके आधार पर अपीलाण्ट को पूर्व में बेदखल किया गया हो। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने गम्भीर कानूनी त्रूटि की है। इस आधार पर आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाये बिना ही अपीलाण्ट को सिविल जैल, अर्थदण्ड से दण्डित करने व खातेदारी की कृषि भूमि से बेदखल करने का का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी सूरत में "स्पीकिंग ऑर्डर" की तारीफ में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के विरूद्ध पूर्व बदेखली साबित नहीं है और न ही पूर्व बेदखली की कोई फर्द पत्रावली पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई केस विचारण में ही नहीं रह जाता है। अपील नियमानुसार अन्दर मियाद पेश है। माननीय न्यायालय की मातहत अदालत द्वारा पारित आलौच्य आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है, जिसका श्रवण एवं निर्णित करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा पारित प्रकरण संख्या 134/2018 बउनवानी सरकार बनाम प्रहलाद में पारित आदेश दिनांक 25.02.2019 अपास्त फरमाया जावे तथा विवादित सरकारी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु नायबतहसीलदार मौजमाबाद को आदेशित/निर्देशित किया जावे।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई।

3. वकील अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत् मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत पेश किया, जिस पर प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मौजमाबाद के पत्रांक राजस्व/24/2435 दिनांक 23.09.2024 की मौका स्थिति रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

के अनुसार ग्राम खटवाड के ख0नं0 1516 व 1517 किस्म चरागाह में प्रहलाद पुत्र गंगाराम मीणा निवासी खटवाड की कोई भूमि लगती हुई नहीं है। भूमि का बेचान किया जा चुका है। वर्तमान में ख0नं0 1516 व 1517 किस्म चरागाह पर प्रहलाद पुत्र गंगाराम मीणा निवासी खटवाड का कोई कब्जा नहीं है।

4. प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1516, 1517 किस्म चरागाह ग्राम खटवाड तहसील मौजमाबाद के संबंध में पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश कर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी का चरागाह भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के लगवा चरागाह भूमि होने से गलत रूप से बिना सीमाज्ञान किये ही धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की गई है। सिविल कारावास एवं जुर्माना भी गलत रूप से आरोपित किया गया है। वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का चरागाह पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश दिनांक 25.02.2019 खारिज फरमाया जावें।

5. पैराकार सरकार ने बताया कि अपीलार्थी ने राजकीय भूमि किस्म चरागाह पर अतिक्रमण कर नाजायज रूप से चना की फसल काश्त करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से सिविल कारावास के दण्ड एवं पैनल्टी आरोपित की गई है जो विधि सम्मत है, इसलिए निर्णय दिनांक 25.02.2019 यथावत रखा जाकर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

6. उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया।

7. अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम खटवाड, तहसील मौजमाबाद के ख0न0 1516 रकबा 0.75 में से 0.30 है0 व ख0नं0 1517 रकबा 4.65 है0 में से 0.20 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से चने की फसल काश्त करने पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये, अपीलार्थी नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को चरागाह भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 25.02.2019 को पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राज. भू राजस्व अधि. की धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही की है जो उचित है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.06.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसके अनुसार पूर्व अतिक्रमित भूमि पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नही होना बताया है। लेकिन अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 के समय अपीलार्थी का चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राज. भू. राजस्व अधि. के तहत 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्रकरण में प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय नायबतहसीलदार मौजमाबाद द्वारा अपीलार्थी को दी गई 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

8. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 134/2018 बउनवानी सरकार बनाम प्रहलाद में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2019 में 90 दिवस सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा।
9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत नायबतहसीलदार मौजमाबाद को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दूदू (राज.)

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner